कार्यालय अधिष्ठाता
स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृतिशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)

E-mail- gmcjagdalpur@gmail.com, gmcdjagdalpur02@yahoo.com

क्रमांक /   / शाचिम / क्रय / निविदा / 2024   जगदलपुर, दिनांक :   /   / 2024

निविदा सूचना

स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय / सबंद्ध शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय डिमरापाल, जगदलपुर एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिमरापाल, जगदलपुर जिला बस्तर, में **सफाई सेवाएँ** प्रदान करने हेतु अधिष्ठाता, स्व. बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) की ओर से प्रतिष्ठित एवं अनुभवी एजेंसियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर से निविदा शुल्क रूपये 2000/- (शब्दों में-दो हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट अथवा नगद जमा कर दिनांक 05/03/2024 से 07/04/2024 तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते है, जो वापसी योग्य नही है। निविदा प्रपत्र बस्तर जिले के वेबसाईट - https://www.gmcjagdalpur.ac.in/ से भी डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 2000/- (शब्दों में-दो हजार मात्र) रूपये का डिमांड ड्राफ्ट अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर के नाम से तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा नही खोली जावेगी।

इच्छुक एजेंसियों को पूर्व-योग्यता एवं तकनीकी बोली तथा समस्त निविदा प्रपत्र सह दस्तावेज अलग लिफाफा में तथा वित्तीय बोली अलग लिफाफा में सीलबंद कर, उक्त दोनों लिफाफा को एक सीलबंद लिफाफा में कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट अथवा सीधे जमा किया जा सकता है।

भविष्य में किसी भी स्पष्टीकरण या शुद्धिपत्र को अधिष्ठाता, स्व. बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) की क्रय समिति के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

1. निविदा विक्रय की प्रारंभ तिथि - 05/03/2024
2. निविदा विक्रय की अंतिम तिथि - 07/04/2024 शाम 05 बजे तक
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 15/04/2024 दोपहर 01 बजे तक
4. निविदा खोलने की तिथि - 15/04/2024 दोपहर 03 बजे से
5. निविदा खोलने का स्थान - कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)।

नोट - सीलबन्द लिफाफा के ऊपर में **"Tender for Housekeeping Service"** स्पष्ट उल्लेख करें।

अधिष्ठाता
स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिष्ठाता

स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ0ग0)

स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अधीनस्थ शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डिमरापाल, जगदलपुर

के लिये

स्वच्छता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष 2024–25

Scanned with CamScanner

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

द्वारा प्रचलित न्यूनतम वेतन

पदनाम	वेतन
सफाई पर्यवेक्षक	श्रम विभाग, छत्तीगढ़ शासन द्वारा प्रचलित न्यूनतम वेतन
सफाई कर्मी	

<u>नोट</u> :–

1. निविदाकर्ता को श्रम विभाग / जिलाधीश द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नियमों के अनुसार ही दरें प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
2. पूर्व महीने के EPF Challan, ESI Contribution तथा Service Tex की रसीद प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही वर्तमान महीने के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
3. निविदाकर्ता को अपनी दरें प्राइज बिड फार्मेट के अनुसार ही देनी होगी जिसमें समस्त कर सम्मिलित होगी उक्त दर के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान के लिये संस्थान जिम्मेवार नही होगा।
4. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार होगें।

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिष्ठाता
स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)

प्री–क्वालीफिकेशन बिड

स्वच्छता कार्य हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय होने चाहिये अन्यथा उन्हें अमान्य कर दिया जावेगा साथ ही समस्त दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

क्र0	विवरण
1.	अमानत हेतु राशि रूपये 3,30,000/– (रूपये तीन लाख तीस हजार मात्र) (चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल) का **डी.डी. जो अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर** के नाम देय हो संलग्न की जाये।
2.	पेन नम्बर प्रमाण पत्र।
3.	जीवित लेबर लाईसेंस प्रमाण पत्र।
4.	साल्वेंसी प्रमाण पत्र (10 लाख का)।
5.	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
6.	भविष्य निधि प्रमाण पत्र कोड सहित।
7.	गुड्स एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य।
8.	एजेन्सी की वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षो में न्यूनतम 30 लाख रूपये प्रतिवर्ष (सी.ए./बैंक से प्रमाणित)।
9.	वर्कमेन कम्पसेशन पॉलिसी (जीवित) की छायाप्रति।
10.	वित्तीय वर्ष 2022–23 में एजेंसी के द्वारा जमा किये गये कर्मचारी भविष्य निधि राशि (EPF) के संबंध में CA के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11.	वित्तीय वर्ष 2022–23 में एजेंसी के द्वारा जमा किये गये कर्मचारी राज्य बीमा निगम राशि (ESIC) के संबंध में CA के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12.	वर्तमान में कार्यरत् संस्थान का नाम – (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)
13.	पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम माह तक ई॰पी॰एफ॰ एवं सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति।
14.	सार्वजनिक उपक्रम/संस्थानों में न्यूनतम तीन वर्ष सफाई कार्य संपादन का अनुभव प्रमाण पत्र।
15.	फर्म के भागीदारों की जानकारी नाम, पता, दूरभाष प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
16.	कम्पनी एक्ट के तहत् रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17.	भारत सरकार द्वारा जारी एम.एस.एम.ई. (**MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES**) प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार छुट प्रदान की जावेगी।

Scanned with CamScanner

टेक्निकल बिड

इस बिड में कंपनी की कार्य योजना विवरण तथा कार्य विधि प्रस्ताव को संलग्न करना होगा।

प्राइस बिड

निविदाकर्ता निविदा में दिये गये फार्मेट में ही प्राईस बिड भरें। दिये गये फार्मेट में प्राईस बिड नही देने पर निविदा मान्य नही किया जावेगा।

स्वच्छता व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा की विशेष शर्ते :–

1. प्री क्वालिफिकेशन निविदा तथा अमानत राशि से सम्बधित दस्तावेजों का सीलबन्द लिफाफा रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट अथवा सीधे इस कार्यालय में जमा की जा सकती है। लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक एवं दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ संलग्न समस्त अभिलेखों की जांच निविदा खुलने के दिन इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जावेगा। समस्त दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है।
2. अमानत राशि एवं आवश्यक विवरण जो कि संस्था द्वारा चाही गई है, के संलग्न न किये जाने पर निविदाएं निरस्त मानी जायेगी।
3. निविदाएं में दिये गये दिनांक में ही खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं या उनके अधिकृत एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। इसके लिए अलग से सूचना नही दी जायेगी।
4. आवश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से निगोशियेशन कर दर एवं अन्य शर्ते निर्धारित करने का अधिकार अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर को सुरक्षित होगा। निगोशियेशन की तिथि अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर की सुविधानुसार निर्धारित की जावेगी।
5. अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर को किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना निविदाकर्ताओं को कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
6. ऐसी निविदाएं जो सशर्त प्रस्तुत की गई हो स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
7. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को प्रबंधन द्वारा स्वच्छता ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं सम्बधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत की राशि अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
8. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदाएं अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर द्वारा अस्वीकृत की जाती है, तो उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटायी जायेगी।

Scanned with CamScanner

9. निविदाकर्ता को भविष्यनिधि का नियोक्ता के रूप में स्वयं का कोड होना आवश्यक है।

10. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में भरे गये रेट राज्य एवं केन्द्र सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए होना चाहिये।

11. निविदाकर्ता को निविदा के साथ पेन नम्बर कार्ड की फोटोकापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12. निविदाकार निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से कार्य स्थल परिसर का अवलोकन करें, जिससे भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति व लगने वाले कर्मचारियों की अनुमानित संख्या का ज्ञान हो सके।

13. पिछले वित्तीय वर्ष के दरम्यान ई॰पी॰एफ॰ एवं सर्विस टैक्स जमा किये गये चालानों की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14. लेबर लाईसेंस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न कराना अनिवार्य होगा।

16. आकस्मिक दुर्घटना/धन जन हानि/अन्य आपदा आदि की स्थिति में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदाकर्ताओं/ठेकेदारों को समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।

17. वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट नाम सहित तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

18. कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त ही कार्य पर लगाये जायेंगे।

19. किसी भी दिन निर्धारित संख्या से दो प्रतिशत से अधिक स्वच्छता कर्मचारी अनुपस्थित नही रहेंगें, नही तो हर व्यक्ति के नाम से रूपये 200/— प्रति व्यक्ति की दर से दण्ड राशि देयक से कटौती की जावेगी। आवश्यकता होने पर आपातकाल में अतिरिक्त कर्मचारियों की तत्काल व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

20. कार्यस्थल पर आवश्यकता अनुसार वैक्यूम क्लीनर/स्क्रबर ड्रायर एजेंसी द्वारा लगाना अनिवार्य है तथा उक्त मशीनों का रख रखाव एजेंसी द्वारा ही किया जावेगा।

21. निविदाकर्ता को उसके उपयोग किये जाने वाले समस्त स्वच्छता उपकरणों की सूची प्रदान करनी होगी।

22. दरों की तुलना सफाईकर्मी/अधिकारी हेतु कोट किये गये राशि एवं आवश्यक पदों की संख्या के गुणनफल के कुल योग से की जावेगी। अतः सभी पदों के दर देना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा मान्य नही की जावेगी।

23. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध संपादित करने के पूर्व अनुबंध राशि का तीन प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर के नाम से जारी एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में होगा। सुरक्षा निधि की वापसी निविदा समाप्त होने के उपरान्त तीन पूर्ण कलेण्डर माह व्यतीत होने पर यदि वसूली लंबित हो तो वसूली की राशि काटकर की जावेगी। किसी प्रकार के विवाद अथवा न्यायालय से प्रकरण लंबित होने की स्थिति में विवाद अथवा प्रकरण के निराकरण के उपरांत ही सुरक्षा निधि लौटाई जावेगी।

Scanned with CamScanner

<u>स्वच्छता ठेके की शर्तें</u>

1. शासकीय/अर्द्धशासकीय चिकित्सा संस्थानों के अनुभवी स्वच्छता ऐजेन्सी को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. स्वच्छता ठेका एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जायेगा। अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार तीन माह या अधिक समय के लिये इन्ही स्वीकृत दर एवं शर्तो के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।
3. निविदाकर्ता को रूपये 3,30,000/– (रूपये तीन लाख तीस हजार मात्र) की अमानत राशि डी0डी0 के रूप में किसी भी **राष्ट्रीयकृत बैंक का जो अधिष्ठाता स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर** के पक्ष में देय हो, का डी0डी0 संलग्न कर, अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर के कार्यालय में एक सील बंद लिफाफे में जिसके ऊपर <u>**सफाई निविदा**</u> लिखा हो, जमा करना होगा।
4. स्वच्छता ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण कार्य स्थल परिसर व इसके सभी भवनों एवं कार्यालयीन परिसर की स्वच्छता व्यवस्था राउंड दी क्लॉक की जावेगी।
5. कम्पनी द्वारा सफाई कार्य हेतु रखे गये कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। सफाई कर्मी को सफाई कार्य हेतु उपयुक्त एवं शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम होना होगा। प्रत्येक सफाई कर्मचारी हेतु अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. कम्पनी द्वारा सफाई कार्य हेतु रखे गये कर्मचारियों को उनके अपराधिक रिकार्ड न होने संबंध पुलिस विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. स्वच्छता एजेंसी स्वयं के व्यय से स्वच्छता कर्मचारियों को वर्दी/प्रोटेक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र उपलब्ध करायेगी, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो।
8. स्वच्छता ऐजेंसी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में स्वच्छता कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु उपस्थिति पंजी रखे जावेंगी और साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किया जावेगा, जोकि प्रबंधन या उनके प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया जावेगा।
9. स्वच्छता ऐजेंसी भुगतान हेतु नियोजित कर्मियों का उपस्थिति पत्रक प्रबंधन प्रतिनिधी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के साथ देयक पांच तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करेंगी।
10. यदि एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन का भुगतान अथवा किसी कर्मचारियों को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रबंधन द्वारा उक्त कर्मी को ठेकेदार की ओर से सीधा भुगतान कर दिया जायेगा एवं ऐजेंसी से उक्त राशि वसूल की जावेगी। इसी प्रकार श्रम कानूनों के

Scanned with CamScanner

अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न किये जाने की दशा में प्रबंधन द्वारा उक्त राशि जमा कर दी जायेगी एवं उसकी वसूली एजेंसी से की जायेगी।

11. प्रबंधन सामान्य दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है परन्तु कंपनी को सामान्य दशा में अनबुंध समाप्त करने हेतु तीन माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। परन्तु स्वच्छता एजेंसी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि जांच के पश्चात् स्वच्छता ठेका निरस्त कर सकेगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त कर जी जायेगी।

12. ठेके के दौरान स्वच्छता एजेंसी कार्य स्थल के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वच्छता एजेंसी में कार्य पर नही ले सकेगी।

13. स्वच्छता एजेंसी को स्वच्छता कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व प्रबंधन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी भी स्वच्छता कर्मी के आचरण/व्यवहार में शंका पाये जाने की स्थिति में प्रबंधन द्वारा सूचना दिये जाने की स्थिति में एजेंसी द्वारा उक्त कर्मी को तत्काल हटाना होगा।

14. स्वच्छता ऐजेंसी को **ISO Certification** एवं **ESI** में पंजीकृत होना चाहिए।

15. स्वच्छता ऐजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स देगी। यह भुगतान श्रमायुक्त/जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नही होगें।

16. स्वच्छता एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे श्रम संविदा अधिनियम/ई॰पी॰एफ॰ एवं उपादान अधिनियम व सम्बंधित अन्य अधिनियमों का स्वच्छता कर्मचारियों के लिये पालन करें।

17. यदि किसी अधिनियम के उल्लंघन बाबत् प्रबंधन को नोटिस प्राप्त होता है एवं कोई आर्थिक दण्ड निर्धारित किया जाता है तो प्रबंधन उक्त राशि स्वच्छता एजेंसी को भुगतान किये जाने वाले देयक से वसूली कर सकेगी।

18. स्वच्छता एजेंसी के कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की यूनियन की गतिविधियों में भाग नही लेगा।

19. प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं स्वच्छता व्यवस्था के लिये प्रभावी कदम उठाने हेतु स्वच्छता एजेंसी उत्तरदायी होगी।

20. स्वच्छता एजेंसी प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाईम ऑफिस रिकार्ड आदि रखने के लिये उत्तरदायी होगी।

21. स्वच्छता एजेंसी को श्रम संविदा अधिनियम 1970 के अन्तर्गत श्रम विभाग से लाईसेंस प्राप्त कर प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा।

22. स्वच्छता एजेंसी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करता है तो प्रबंधन को स्वच्छता ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

23. प्रबंधन को अनुबंध की शर्तो को संशोधित करने निरस्त करने एवं नई शर्तों को जोड़ने का अधिकार होगा। इसके लिये बिना कारण बताये एक माह की पूर्व सूचना स्वच्छता एजेंसी को दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

24. स्वच्छता एजेंसी को अपने कर्मचारियों के लिये हाजरी कार्ड, अवकाश कार्ड आदि देने होगें एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेंसी को स्वयं ही रखना होगा जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। श्रम निरीक्षण द्वारा निरीक्षण के दौरान सम्बंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।

25. प्रबंधन के परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबंधन को स्वविवेक से उक्त सफाई कर्मचारी को स्वच्छता एजेंसी के माध्यम से बर्खास्त करने का अधिकार होगा।

26. स्वच्छता एजेंसी अपने कर्मचारियों के ई॰पी॰एफ॰ आदि अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका सम्पूर्ण रिकार्ड एजेंसी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड प्रबंधन को प्रस्तुत किया जावेगा।

27. स्वच्छता कर्मियों की संख्या प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जावेगी। यह संख्या प्रबंधन द्वारा स्वविवेकानुसार समय–समय पर घटाई व बढ़ाई जा सकेगी। वर्तमान में

28. यदि प्रबंधन एवं एजेंसी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर द्वारा दिया गया निर्णय सफाई एजेंसी को मान्य एवं निर्णयकारी होगा।

29. समस्त विवाद जगदलपुर न्यायालय के क्षेत्रधिकार में ही निपटाये जावेगें।

30. स्वच्छता एजेंसी द्वारा स्वच्छता व्यवस्था लगातार शिफ्ट में राउंड द क्लाक की जावेगी तथा एजेंसी कार्य स्थल के सम्पत्ति की स्वच्छता के प्रति जवाबदार रहेगी।

32. यदि एजेंसी की लापरवाही से ऐसी कोई घटना घटित होती है जिसमें प्रबंधन पक्ष को कोई हानि हुई हो तो उक्त की वसूली प्रबंधन द्वारा एजेंसी के दिये प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

33. प्रबंधन द्वारा दिये गये समय सारिणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेंसी को स्वच्छता कर्मी पदस्थ करना अनिवार्य होगा।

34. एजेंसी द्वारा नियोजित स्वच्छता कर्मियों को यूनिफार्म, बैज आदि आवश्यक रूप से प्रदान की जावेगी, जिसका भुगतान एजेंसी के द्वारा ही किया जावेगा अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर के द्वारा इसका कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

35. एजेंसी को कान्ट्रेक्ट लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट/पी.एफ. एक्ट/न्यूनतम वेतन अधिनियम/बोनस एक्ट व लागू होने वाले अन्य समस्त श्रम नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा। सम्बंधित श्रम निरीक्षक/पी.एफ. निरीक्षक द्वारा समय–समय पर मांगे जाने पर रिकार्ड का अवलोकन कराना अनिवार्य होगा।यदि एजेंसी इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों का पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी दशा में एजेंसी पर की गई पेनाल्टी शासकीय खाते में जमा कर दी जावेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति एजेंसी की देयक राशि/प्रतिभूति राशि से कटौती कर की जावेगी।

Scanned with CamScanner

36. एजेंसी को रिकार्ड व अन्य रजिस्टर अपने स्वयं के व्यय पर व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु प्रबंधन द्वारा कोई लिपिक/अतिरिक्त भुगतान उपलब्ध नही कराया जावेगा।

37. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित कर्मी पूर्ण मुस्तैदी से एवं जागरूकता से कार्य सम्पादित करें तथा पूर्णतः अनुशासित रहें। कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में प्रबंधन द्वारा एजेंसी पर पेनाल्टी की जा सकेगी। इस सम्बंध में अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर का निर्णय अंतिम होगा।

38. एजेंसी द्वारा असंतोषप्रद कार्य किये जाने पर अथवा अनुबंध की कण्डिकाओं का उल्लंघन किये जाने पर अथवा लगातार लापरवाही पूर्वक कार्य किये जाने पर प्रबंधन द्वारा प्रकरण के गुणदोष को ध्यान में रखते हुए एजेंसी की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी एवं एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी अथवा एक माह का नोटिस देकर यह ठेका समाप्त कर दिया जावेगा। इस सम्बंध में अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर का निर्णय अंतिम होगा।

39. किसी भी सफाई कर्मचारी द्वारा उपरोक्त शर्तों की किसी कण्डिका का उल्लंघन करने या दोषी पाये जाने पर तत्काल कार्य स्थल परिसर में उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकेगा जो एजेंसी पर बंधनकारी होगा।

40. बजट के अभाव में यदि महाविद्यालय द्वारा एजेंसी को भुगतान करने में विलंब होता है तो एजेंसी अपने अधीनस्थ कर्मियों को स्वयं भुगतान करेगी, जिसका समायोजन महाविद्यालय को बजट प्राप्त होने पर किया जावेगा।

41. एजेंसी सफाई कर्मियों से संबंधित विभिन्न श्रम, औद्योगिक और लागू होने वाले किसी भी अन्य कानूनों के प्रावधानों और सभी वैधानिक दायित्वों, जैसे मजदूरी, भत्ते, मुआवजा, ईपीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, ईएसआई आदि के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) का इस संबंध में कोई दायित्व नही होगा।

अधिष्ठाता
स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

सफाई कर्मियों का उत्तरदायित्व :

1. ओ0पी0डी0 भवन, कॉलेज भवन, प्रशासनिक भवन, छात्र एवं छात्रावास भवन के साथ ही सभी संबंधित भवनों की साफ सफाई एवं पान, गुटखा के दाग धब्बों की सफाई तथा साथ ही सभी भवनों के शौचालय, मूत्रालय एवं जल प्रदाय उपकरणों इत्यादि की देखरेख एवं साफ सफाई कर कूड़ा–करकटों को संस्था द्वारा निर्धारित स्थानों पर फेंकना।
2. अस्पताल भवन, कॉलेज भवन एवं हॉस्टल के बाहरी हिस्से (परिसर) की साफ सफाई कर कचरे को संस्था द्वारा निर्धारित स्थानों पर फेंकना।
3. अस्पतालों के सभी वार्डों की साफ सफाई के साथ अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर, आईसीयु, आईसीसीयु एवं इनसें संबंधित मूत्रालय, शौचालयों की साफ सफाई करना एवं जलप्रदाय व्यवस्था की देखरेख करना।
4. भवनों में उपलब्ध फर्नीचरों, खिड़की, दरवाजों एवं उनमें लगे कांच, कार्यालयीन बोर्ड तथा सभी संबंधित उपकरणों की साफ सफाई करना।
5. अस्पताल सहित समस्त भवनों के खुले एवं बंद नालियों तथा पानी निकासी की व्यवस्था की समुचित साफ सफाई एवं चोक होने से रोकना तथा समय–समय पर फिनायल एवं एसिड आदि का छिड़काव करना।
6. चिकित्सालय के वार्डो के शौचालयों में होने वाले चोक के निवारण हेतु एजेंसी द्वारा कुशल पुरूष सफाई कर्मी आवश्यकता अनुसार रखा जाना अनिवार्य है, यदि चोक को चिकित्सालय के द्वारा बाहरी एजेंसी से कराया जाता है तो उसका भुगतान आपके देयक से वसूली की जावेगी।
7. समस्त भवनों के सीवर पाईप लाईन, मेनहोल, गटर, सेप्टिक टैंक आदि की साफ सफाई एवं उनकों संस्था द्वारा निर्धारित पाईप लाईन, मेनहोल, गटर से जोड़ना जिससे उनके चोक होने का खतरा न हो।
8. चूहे, मक्खियों, मच्छर, काकरोच इत्यादि के रोकथाम के लिये समय–समय पर समस्त भवनों में उचित रसायनों का छिड़काव करना।

अधिष्ठाता
स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

चेप्टर – 4: प्राइस बिड

विवरण :–

अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर के लिए **प्राइस कोड** –

संस्थान का नाम	सफाई कर्मी की संख्या	पर्यवेक्षक की संख्या
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिमरापाल, जगदलपुर		

यह स्पष्ट किया जाता है कि समेकित और सभी समावेशी कोड दरों में छ.ग. सरकार के न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी घटक शामिल नहीं होना चाहिए, साथ ही न्यूनतम मजदूरी पर छत्तीसगढ़ शासन के आदेश की प्रति के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि न्यूनतम मजदूरी दर में राज्य शासन द्वारा संशोधित किये जाने न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन की सुविधा मिल सकें।

बी : प्राइस बिड प्रारूप :–

विशिष्ट	न्यूनतम मजदूरी (जैसा लागू हो)	ई॰पी॰एफ॰ (जैसा लागू हो)	ईएसआईसी (जैसा लागू हो)	सेवा प्रभार	जीएसटी (जैसा लागू हो)	कुल
पर्यवेक्षक (कुशल)						
सफाई कर्मी (अकुशल)						

सेवा शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति माह मूल के 1% से कम नहीं होना चाहिए। इसमें सभी शुल्क भी शामिल होंगे। बोनस, अवकाश वेतन, वर्दी, बीमा, ठेकेदार मार्जिन और अन्य टैक्स यदि कोई लागू हो (जीएसटी को छोड़कर)।

- रूपये में प्रति माह प्रति व्यक्ति प्रभारित की जाने वाली राशि। यह मूल रूप से L1 तय करने के लिए तुलना की जाने वाली वित्तीय बोली का एक हिस्सा है।
- शासकीय नियमानुसार टीडीएस/जीएसटी कटौती की जाएगी।
- आवश्यक कर्मियों की संख्या संस्थागत आवश्यकता के अनुसार घट या बढ़ सकती है।

नोट :–

1. दर में साप्ताहिक अवकाश शामिल है।
2. उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में प्रस्ततु नही की गई बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

चेप्टर – 5: अनुबंध प्रारूप

(रू 100.00 गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बनाया जाना है)

मसौदा समझौता प्रारूप

यह अनुबंध प्रथम पक्ष स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) एवं द्वितीय पक्ष मेसर्स...

के मध्य आज दिनांक .... को निष्पादित है।

अनुबंध की अवधि दिनांक .... से .... तक एक वर्ष के लिये होगी।

अनुबंध का नियम और शर्तें निम्नानुसार है –

1. एजेंसी सफाई कर्मियों से संबंधित विभिन्न श्रम, औद्योगिक और लागू होने वाले किसी भी अन्य कानूनों के प्रावधानों और सभी वैधानिक दायित्वों, जैसे मजदूरी, भत्ते, मुआवजा, ईपीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, ईएसआई आदि के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) का इस संबंध में कोई दायित्व नही होगा।
2. एजेंसी द्वारा स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) परिसर पर तैनात कर्मियों के लिए किसी भी दुर्घटना/चिकित्सा/स्वास्थ्य संबंधी देयता/मुआवजे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में 'संस्था' की कोई जिम्मेदारी नही. होगी।
3. नियम/शर्तें व अनुबंध का कोई भी उल्लंघन या तथ्यों को छुपाने पर बिना किसी संदर्भ या किसी नोटिस अवधि के अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
4. प्रबंधन सामान्य दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है परन्तु कंपनी को सामान्य दशा में अनबुंध समाप्त करने हेतु तीन माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। अनुबंध का उल्लघंन एंव चूक करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि जांच के पश्चात् सुरक्षा ठेका निरस्त कर सकेगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. अनुबंध का पालन न करने की स्थिति में, 'संस्था' के पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित है :–
   - अ. अनुबंध समाप्त और/या
   - ब. अनुबंध के कुल वार्षिक मूल्य का 10% तक का जुर्माना लगाएं।
6. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय एजेंसी द्वारा एफडीआर या बैंक गारंटी के रूप में वार्षिक मूल्य (अनुबंध की समाप्ति के दो महीने बाद वापसी योग्य) के 3% के बराबर सुरक्षा जमा राशि प्रस्तुत की जाएगी।
7. एजेंसी द्वारा स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) में तैनात कर्मियों को समय पर मासिक वेतन और किसी अन्य बकाया राशि के भुगतान के लिए पूरी तरह एजेंसी जिम्मेदार होगी।

Scanned with CamScanner

8. एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए सफाई कर्मी स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) के कर्मचारी होने का दावा नही करेंगे और कर्मियों के बीच कोई कर्मचारी और नियोक्ता संबंध नही होगा ।

9. राज्य सरकार द्वारा संशोधित वेतन दर की प्रतिपूर्ति को छोड़कर अनुबंध अवधि के दौरान एजेंसी को देय दरों में कोई वृद्धि नही होगी।

10. एजेंसी समय–समय पर संलग्न नियमों और शर्तो और संशोधनों का पालन करने के लिए भी सहमत है।

11. नियम एवं शर्तो की व्याख्या एवं अनुबंध के संबंध में अधिष्ठाता स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।

12. एजेंसी इस अनुबंध के संबंध में भारत सरकार के कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। एजेंसी, संस्था को इसके संबंध में एजेंसी के कर, ब्याज, दंड आदि की देनदारी के खिलाफ पूरी तरह से क्षतिपूर्ति रखेगी, जो उत्पन्न हो सकती है।

13. एजेंसी और संस्था के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार अधिष्ठाता स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर छत्तीसगढ़ को होगा। विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार के सभी मामले जगदलपुर स्थित स्थानीय जिला न्यायालय में होंगे।

14. निविदा दस्तावेज के सभी नियम और शर्ते अनुबंध का हिस्सा होगी और अनुबंध अवधि के दौरान लागू रहेंगी। यह अनुबंध दिनांक .... तक प्रभावी होगा और एक साल के लिए वैध होगा यदि काम संतोषजनक रहा तो अनुबंध को अधिकतम छः माह या 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

इसके साक्ष्य में दोनो पक्षों ने ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को साक्षी की उपस्थिति में जगदलपुर में यहां पर अपने–अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा दी गई है।

(प्रथम पक्ष) **अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय** **मुहर एवं हस्ताक्षर**	**(द्वितीय पक्ष)** **एजेंसी** **मुहर एवं हस्ताक्षर**
1. गवाह –	1. गवाह –
1. हस्ताक्षर –..	1. हस्ताक्षर –....................................
2. नाम...	2. नाम..
3. पता...	3. पता..
2. गवाह –	2. गवाह –
1. हस्ताक्षर –..	1. हस्ताक्षर –....................................
2. नाम...	2. नाम..
3. पता...	3. पता..

अनुलग्नक "ए"

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम एक फर्म/एजेंसी .... छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में सफाई के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव के साथ जनशक्ति और मैं/हम छत्तीसगढ़ सरकार के न्यूनतम वेतन नियमों के अनुसार मजदूरी प्रदान कर रहे हैं। मेरी एजेंसी/फर्म चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल भवन में सफाई कार्य करने में भी सक्षम है।

स्थान –....................................
दिनांक –....................................

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मोहर के साथ)

नाम –..

पता –..

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक "बी"

(फर्म के पत्र में और विधिवत नोटरीकृत)

वचन फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमनें इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए स्वयं वचनबद्ध है।

मैं/हम घोषणा करते है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है। मैं/हम घोषणा करते है कि मालिक/फर्म/पार्टनर या कंपनी (एजेंसी) के खिलाफ पुलिस के पास कोई मामला लंबित नहीं है। मुझे/हमें किसी भी कानून की अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही मुझें/हमें किसी राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश/भारत सरकार/संगठन या स्वास्थ्य संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है। मैं/हम सहमत है कि निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी अमानत राशि को जब्त कर सकता है, या सत्यापन के समय हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत साबित होती है और निविदा के नियम व शर्तों का अनुपालन नही किया जाना पाया जाता है तो मुझे/हमें 02 साल की अवधि के लिए ब्लैक लिस्टेड में डाल सकता है।

स्थान –..................................

दिनांक –..................................

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मोहर के साथ)

नाम –..

पता –..

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक "सी"

बोली लगाने वाले का गुणवत्ता आधारित स्कोर कार्ड

स. क्रं.	विवरण	ब्यौरा	अंक
1.	**संगठन क्षमता** फर्म/कंपनी नेट वर्थ पिछले वित्तीय वर्ष 2022–23 में (मार्च–2023 के अंत में जारी नेट वर्थ के लिए सीए प्रमाण पत्र संलग्न करें)	15 लाख से 01 करोड़	3
		01 करोड़ से 03 करोड़	4
		03 करोड़ से 06 करोड़	5
		06 करोड़ से 15 करोड़	6
		15 करोड़ से 30 करोड़	7
		30 करोड़ से 50 करोड़	9
		50 करोड़ से अधिक	10
	निविदाकर्ता ने सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/प्रतिष्ठित अस्पतालों में पिछले 03 वर्षो में समान प्रकृति का कार्य निष्पादित किया हो।	50 से 100 व्यक्तिगत	3
		100 से 150 व्यक्तिगत	4
		150 से अधिक व्यक्तिगत	5
2.	**वित्तीय विवरण** पिछले 03 वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार (2020–21, 2021–22, 2022–23) (केवल सफाई कार्य से प्राप्त)	15 लाख से 01 करोड़	4
		01 करोड़ से 2.5 करोड़	5
		2.5 करोड़ से 5 करोड़	6
		5 करोड़ से 10 करोड़	7
		10 करोड़ से 15 करोड़	9
		15 करोड़ से अधिक	10
3.	सफाई सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव के वर्षो की संख्या	अधिकतम 10 अंकों तक (प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक)	10
4.	**उपभोक्ता की राय** **(प्रदर्शन)** समान प्रकृति के कार्य की सेवाएं प्राप्त करने वाले ग्राहक द्वारा सेवा प्रतिक्रया	प्रत्येक ग्राहक प्रमाण पत्र के लिए संतोषजनक – 01 अंक प्रत्येक अच्छा – 02 अंक प्रत्येक बहुत अच्छा– 3 अंक प्रत्येक उत्कृष्ट– 4 अंक प्रत्येक अधिकतम 10 अंक आबंटित किए जाएंगे	10

Scanned with CamScanner

बिड मूल्यांकन मानदंड

निविदा का मूलयांकन QCBS (गुणवत्ता सह लागत आधार चयन) प्रणाली पर किया जाएगा।

- पूर्व योग्यता बोली पर 60% और वित्तीय बोली पर 40% का भार होगा।
- पूर्व योग्यता मानदंड में फिर से प्राप्त अंकों को अनुलग्नक ''सी'' के अनुसार पूर्व योग्यता बोली के अंको के रूप में माना जाएगा।
- वित्तीय बोली के लिए भार की गणना निम्नानुसार की जाएगी :–

  सबसे कम बोली लगाने वाले को 40 अंक दिए जाएंगे व अन्य निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार वेटेज दिया जाएगा –

  वित्तीय बोली भार = (सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा दर्शाये दर/विचाराधीन निविदाकर्ता द्वारा दर्शाये दर) x 40

  उदारहण के लिए 'अ' यदि सबसे कम बोली लगाने वाले की प्रति व्यक्ति दर्शाये औसत दर रू. 12000 (दर+ईपीएफ+ईएसआईसी+जीएसटी+ओसी) और बोली लगाने वाले x की प्रति व्यक्ति दर्शाये औसत दर x रू. 13000 तो निविदाकर्ता की वित्तीय बोली का भार (12000 x40/13000) = 36.93

  बोली का अंतिम अंक तकनीकी/पूर्व योग्यता बोली भार और वित्तीय बोली भार का योग होगा।

  उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता को अनुबंध प्रदान करने के लिए सफल निविदाकर्ता माना जाएगा।

  ऐसी स्थिति में जहां दो या दो से अधिक निविदाकर्ताओं को समान स्कोर/वेटेज मिलता है, तो सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/प्रतिष्ठित अस्पतालों में समान प्रकृति के कार्य के निष्पादन के वर्षो के संदर्भ में अधिक अनुभव रखने वाले निविदाकर्ता को एक सफल निविदाकर्ता माना जाएगा जिसके साथ अनुबंध किया जाएगा।

Scanned with CamScanner